राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3( )2024–25/अ.अ./प्रमुवसं–10623 दिनांक : As par sign

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम 1971 में उपलब्ध शर्तों सहित कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9 (5)/30/कार्मिक क–3/जांच/2004, जयपुर दिनांक 18.11.2006 के अनुसंरण में निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष 2024–25 परीक्षाओं में अध्ययन (स्वयंपाठी छात्र के रूप में) अध्ययन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	कार्यालय का नाम	विश्व विद्यालय/ बोर्ड का नाम	परीक्षा का नाम
1	सुनिता, वनपाल	उप वन संरक्षक, सीकर	वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय कोटा	एम.एससी. (प्रीवियस)
2	नरेश कुमार मिरोठा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रमुवसं राज.जयपुर	राजस्थान स्टेस्ट ओपन स्कूल जयपुर	सीनियर सैकण्डरी
3	नरेन्द्र बाराड़ा, वनरक्षक	उप वन संरक्षक (परियोजन) आबू रोड	वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय कोटा	एम.ए. (प्रीवियस)
4	ओम प्रकाश मीणा, वनपाल	उप वन संरक्षक, नागौर	वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय कोटा	बी.ए. पार्ट–I

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में यह स्वीकृति/अनुमति बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है।
10. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
11. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
12. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
13. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(अरिजित बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3( )2024–25/अ.अ./प्रमुवसं–10623 दिनांक : As par sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, सीकर/नागौर/परियोजना आबू रोड/उवसं एवं प्रावैधिक सहायक प्रमुवसं राजस्थान जयपुर।
3. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Document certified by ARIJIT BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :11-12-2024 10:48:09

RajKaj Ref No.: 12346741